न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 378/2024
(जीसीएमएस संख्या 2024/548)

निर्णय दिनांकः– 09-07-25

1. जीतसिंह पुत्र संता सिंह जाति रामगढिया निवासी चक 12 बीडीवाई, बरसलपुर तहसील बज्जू जिला बीकानेर हाल निवासी चक हरिपुरा हनुमानगढ।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, बज्जू।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 11–08–2008
सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ मुकाम बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ मुकाम बीकानेर के आदेश दिनांक 11–08–2008 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन प्रार्थना पत्र सबूतों के अभाव में एकतरफा तौर पर खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट्स द्वारा विशेष आवंटन के तहत चक 4 डीएम मुरब्बा नम्बर 228/02

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

की भूमि की मांग की गई थी। अपीलांट द्वारा अपने आवेदन के साथ तमाम सबूत भी पेश किये थे मगर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का आवेदन सबूतों के अभाव में यथा निर्वाचन सूची नहीं होने तथा शपथ पत्र मूल नहीं होने के आधार पर खारिज कर दिया गया।

इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। आवेदित रकबा आज दिनांक को भी शुद्व रूप से आराजीराज दर्ज रिकार्ड है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियाद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 11–08–2008 के विरूद्व अपील दिनांक 04–10–2024 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियाद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का आवेदन पत्र सबूत पेश नहीं करने के कारण खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 11–08–2008 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 04–10–2024 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्धारण से पूर्व मियाद के बिन्दु को अभिनिर्धारित किया जाना उचित पाते है। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि विलम्ब के मामलों में न्यायालय का दृष्टिकोण समग्र रूप से न्याय का उद्वेश्य हासिल करने का होना चाहिए। विलम्ब शमन निम्न में से एक या से एक से अधिक कारणों पर आधारित होना चाहिए। मियांद कानून लोक नीति का पूरक है। इसका उद्वेश्य किसी पक्षकार के अधिकारों का हनन करना नहीं होना चाहिए। न्याय प्राप्ति हेतु अंतिम प्रयास तक कानूनी उपचार जीवित रहने चाहिए। इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 में भी अभिधारित किया है कि **"Period of limitation does not run against non-petitioner being ex-parte order."** अतः उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत एवं प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए चक 4 डीएम के मुरब्बा नम्बर 228/02 की तादादी 12 बीघा 03 बिस्वा कमाण्ड एवं 06 बीघा 10 बिस्वा अनकमाण्ड कुल तादादी 18 बीघा 13 बिस्वा भूमि आवंटन की मांग की गई थी। जिसमें अपीलांट द्वारा वांछित सबूत यथा निर्वाचन सूची तथा मूल शपथ पत्र जमा नहीं करवाये जाने पर आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट का आवेदन पत्र खारिज किया गया।

(3) प्रस्तुत मामलें में अपीलांट का मुख्य कथन है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है ना ही कोई नोटिस जारी किया गया। यदि किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी भी किया गया है तो विधिवत रूप से उसकी तामील अपीलांट को नहीं करवाई गई है।

राजस्व अपील अधिक
बीकानेर

ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है।

इस संबंध में अदालत मातहत की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलांट को जारी नोटिस का अवलोकन किया गया। उक्त नोटिस कार्यालय के क्रमांक 4687 दिनांक 13–03–2008 को जारी किया गया है जिस पर अपीलांट को दिनांक 20–03–2008 तक उपस्थित होते हुए वांछित सबूत यथा निर्वाचन सूची वर्ष 1993 व वर्ष 2003, प्रमाणित शुदा एक फोटो तथा अन्यत्र भूमि न होने का शपथ पत्र जमा करवाने हेतु निर्देशित किया गया था मगर उक्त नोटिस पर किसी प्रकार की कोई तामील का साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में यह साबित नहीं होता है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार का कोई सूचना प्राप्त हुई हो अथवा अपीलांट को अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था।

(4) यहॉ यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा चक 4 डीएम के मुरब्बा नम्बर 228/02 की भूमि बतौर विशेष आवंटन गजट में आवंटन हेतु प्रकाशित थी। अभिभाषक अपीलांट द्वारा बतौर सबूत प्रस्तुत जमाबंदी सवंत् 2072–2075 के अनुसार उक्त रकबा आज दिनांक को अराजीराज दर्ज है व अन्य किसी को आवंटनशुदा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि अपीलांट वादगत भूमि पर एकल आवेदक था।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 11–08–2008 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बज्जू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादगत् भूमि अन्य को आवंटित नहीं होने पर अथवा अन्य किसी कार्य के लिए आरक्षित नहीं की गई हो तथा अपीलांट आदेश के दो माह में यदि बकाया सबूत जमा करवाता है तो ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रार्थना पत्र नियमानुसार

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उसकी आज दिनांक की पात्रता की जॉच करते हुए, पात्रता सही पाये जाने पर अग्रिम कार्यवाही की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 09.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर